

अनन्तिम प्रकाशन

“सूचना”

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा-6-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण आबंटन) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002) व शासनादेश संख्या-1652/XII(1)1/15-86(19)/2015 दिनांक 21 सितम्बर 2015, शासनादेश संख्या-1880/XII(1)1/15-86(19)/2015 दिनांक 21 अक्टूबर 2015 एवं शासनादेश संख्या-1950/XII(1)/15-86(19)/2015 दिनांक 03 नवम्बर 2015 के क्रम में जनपद हरिद्वार के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों को जो कि स्तम्भ 03 में उल्लेखित है, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित श्रेणी के लिए अनन्तिम रूप से आरक्षित किया जाता है।

जनपद का नाम	क्र०सं०	क्षेत्र पंचायत (खण्ड) का नाम	आरक्षण श्रेणी
1	2	3	4
जनपद हरिद्वार	1	नारसन	अ०जा०म०
	2	बहादुराबाद	अ०जा०
	3	रूडकी	पि०जा०म०
	4	लक्सर	पि०जा०म०
	5	खानपुर	पि०जा०
	6	भगवानपुर	अनारक्षित



(हरबंस सिंह चुघ)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।